अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/479/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 9th जुलाई, 2013

सेवा में

श्री लोकेश कुमार
पुत्र श्री कल्याण सिंह
गांव-मडवारा
डाक-सिकन्दराबाद
बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 4.7.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. मद सं. 1 एवं 2 के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली में 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' आरक्षित विषय हैं। इस प्रकार दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आती है। दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को वेतन, भत्ते आदि का भुगतान गृह मंत्रालय के बजट से किया जाता है। उनके अवकाश एवं अन्य नियम दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं। इसके निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारी दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1980 के अंतर्गत शासित होते हैं।

3. जहां तक मद सं. 3 का संबंध है: यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत यथा परिभाषित 'सूचना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है।

4. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष: 23092856

Issued
1869
24/7

49